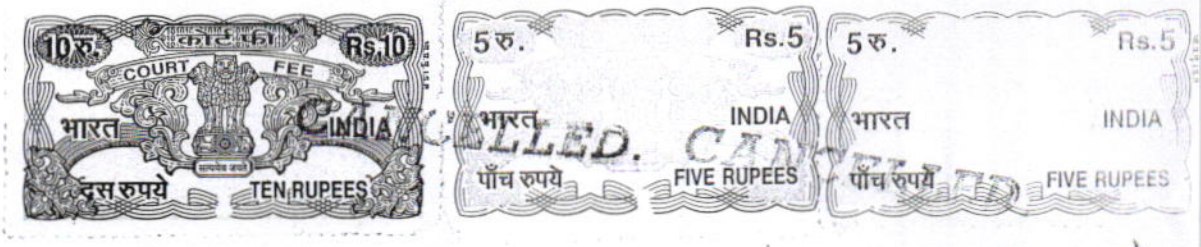

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED. CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) केम्प सागर

II/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/2186

(1) कड़ोरी तनय उद्देत पटैल,
(2) बद्री प्रसाद तनय श्री बाबूलाल पटैल,
(3) खेमराज तनय श्री दलू पटैल,
निवासी– ग्राम सोमला तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

B.O.R.
01 MAR 2018

विरूद्ध

म.प्र. शासन
द्वाराः– वन परिक्षेत्र अधिकारी,
दक्षिण वन मंडल सागर जिला सागर (म.प्र.)

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है–:

आवेदकगण यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 551 /17–18 में परित आदेश दिनांक 16/01/2018 से परिवेदित होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/सागर/भू0रा0/2018/2186

कडोरी आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–5–2019	आवेदक अभिभाषक श्री नरेन्द्र माली उपस्थित। आवेदक अभिभाषक की ओर से कायमी पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में उपलब्ध प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम सोमला तहसील सागर स्थित प0ह0नं0 152 में झाड़ जंगल में आवेदकगण साहित अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय वन क्षेत्र से सागौन की पेड़ों की कटाई की जा रही थी। अनुविभागीय अधिकारी सागर ने मौके से सागौन वृक्षों की कटाई एवं जप्ती सिद्ध पाते हुये आवेदकगण सहित अन्य लोगों के विरूद्ध कार्यवाही कर शास्ति अधिरोपित की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा उचित पाया है और उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त की है। आवेदकगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश पारित किये हैं। इस निगरानी में आवेदकगण उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण होना सिद्ध नहीं कर सके। दर्शित परिस्थितियों तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी प्रथमदृष्टया नजर नहीं आता है। फलस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर. के. जैन) सदस्य 10/5/19	